भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 4870
दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के लिए प्रश्न

आवारा कुत्ते

4870. श्री हैबी ईडनः

डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानीः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश भर में आवारा कुत्तों का खतरा भयावह रूप ले चुका है, जिसके कारण मनुष्यों, विशेषकर बच्चों और वृद्ध नागरिकों पर कुत्तों के हमलों में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान आवारा कुत्तों के हमलों के राज्य-वार कितने मामले सामने आए हैं;

(ग) सरकार द्वारा पशुओं के प्रति मानवीय रुख सुनिश्चित करते हुए इस समस्या के समाधान हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने में पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) कार्यक्रम की प्रभावकारिता का आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका विभिन्न राज्यों में क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अनुसार पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार के साथ ही पशु रोगों का निवारण, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और प्रैक्टिस राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अनुच्छेद 243(ब) और 246 के अनुसार स्थानीय निकायों को आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने का अधिदेश प्राप्त है। तदनुसार, स्थानीय निकाय आवारा कुत्तों की आबादी को विनियमित करने के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) कुत्ते के काटने और मानव रेबीज से संबंधित मानव स्वास्थ्य घटक के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, बच्चों जैसे उच्च जोखिम वाले समूहों सहित पशुओं के काटने से संबंधित डेटा एकत्र किया जा रहा है और स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से देश भर में पशुओं के काटे हुए सभी पीड़ितों के लिए पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफाईलैक्सिस संबंधी आवश्यक उपबंध किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम-एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफार्म पोर्टल पर वर्ष 2022 से वर्ष 2025 (जनवरी तक) तक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए कुत्ते के काटने के मामलों और संदिग्ध मानव रेबीज मौतों पर राज्यवार आंकड़े क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिए गए हैं।

(ग) केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 के स्थान पर पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 अधिसूचित किया है। पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 में आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने, रेबीज को रोकने और मानव-कुत्ते संघर्ष को कम करने के लिए आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण का प्रावधान है।

स्थानीय निकायों द्वारा पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम का गहन कार्यान्वयन स्ट्रीट डॉग की अधिक आबादी और रेबीज की घटनाओं को नियंत्रित करने का एकमात्र तर्कसंगत और वैज्ञानिक समाधान है। कुत्तों का बंध्यकरण किया जाता है और उन्हें उनके मूल निवास स्थान पर वापस छोड़ दिया जाता है, और चूंकि कुत्ते टैरिटोरियल होते हैं, इसलिए वे अपने

इलाके में ही रहते हैं और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों के कुत्तों को अंदर नहीं आने देते। इन कुत्तों को वार्षिक रूप से टीका भी लगाया जाता है ताकि वे रेबीज से सुरक्षित रहें और अगर वे गलती से काट भी लें, तो वे रेबीज न फैलाएँ।

भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI) ने स्ट्रीट डॉग की आबादी के प्रबंधन, रेबीज उन्मूलन और मानव-कुत्ते संघर्ष को कम करने के लिए संशोधित पशु जन्म नियंत्रण (ABC) मॉड्यूल प्रकाशित किया है।

इसके अलावा, भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड देश भर में आवारा कुत्तों के बंध्यकरण और टीकाकरण के लिए कार्यक्रम चलाने हेतु मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों को पशु जन्म नियंत्रण परियोजना मान्यता प्रदान करता है। इसके अलावा, भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड ने आवारा कुत्तों के समुचित कल्याण के लिए निम्नलिखित परामर्शी/दिशानिर्देश जारी किए हैं:

- पालतू कुत्ते और स्ट्रीट डॉग परिपत्र दिनांक 26.02.2015
- सामुदायिक पशुओं को गोद लेने के लिए मानक प्रोटोकॉल दिनांक 17.05.2022
- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव से पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के प्रावधान को कार्यान्वित करने का अनुरोध दिनांक 27.03.2023
- शहरी विकास और पशुपालन के प्रधान सचिव के साथ-साथ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों के नगर निगम आयुक्तों से पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने का अनुरोध दिनांक 31.03.2023
- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट से पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के प्रावधान को कार्यान्वित करने का अनुरोध दिनांक 30.05.2023

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) प्रमुख हितधारक मंत्रालयों और विभागों के समन्वय से राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (NRCP) के माध्यम से वर्ष 2030 तक भारत में रेबीज उन्मूलन के लिए सभी आवश्यक कार्यकलाप कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में वर्ष 2030 तक कुत्ते से होने वाली रेबीज के उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPRE) के तहत रेबीज उन्मूलन के लिए प्रत्येक हितधारक मंत्रालय/विभाग की एक निर्धारित भूमिका और उत्तरदायित्व है।

देश भर में रेबीज उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा किए गए कार्यकलापों का विवरण नीचे अनुबंध-III में दिया गया है।

(घ) और (ड.) सरकार ने आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने में पशु जन्म नियंत्रण (ABC) कार्यक्रम की प्रभावशीलता का औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया है; हालांकि, इस समस्या को प्रबंधित करने का यह प्राथमिक तंत्र बना हुआ है। इस कार्यक्रम की प्रभावशीलता कई अनिवार्य प्रावधानों द्वारा समर्थित है, जिसमें प्रत्येक परियोजना के लिए पशु जन्म नियंत्रण परियोजना मान्यता, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर निगरानी और कार्यान्वयन समितियों का गठन और अन्य नियामक उपाय शामिल हैं। हालांकि, कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों के कारण इसकी प्रभावशीलता अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग है।

इसके अलावा, प्राप्त जानकारी के अनुसार, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने में पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन किया है। वर्ष 2019 और वर्ष 2023 में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि पिछले सर्वेक्षण की तुलना में वर्ष 2023 में आवारा कुत्तों की आबादी में 10% की कमी आई है। साथ ही, बधियाकरण प्रतिशत में 20% की वृद्धि हुई है।

अनुबंध-I

आईडीएसपी में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दर्ज किए गए कुत्ते के काटने के मामले (वर्ष **2022-25** तक)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वर्ष 2022 (जनवरी-दिसंबर)**	**वर्ष 2023 (जनवरी-दिसंबर)**	**वर्ष 2024 (जनवरी-दिसंबर)**	**वर्ष 2025 (जनवरी)**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	345	528	455	52
आंध्र प्रदेश	192360	212146	245174	23180
अरुणाचल प्रदेश	2501	4409	6388	714
असम	39919	94945	166232	20900
बिहार	141926	241827	263930	34442
चंडीगढ़	5365	11782	8644	754
छत्तीसगढ	21365	29221	38268	5159
दिल्ली	6691	17874	25210	3196
दादरा नगर हवेली और दमन दीव	4169	5921	7926	620
गोवा	8057	11904	17236	1789
गुजरात	169363	278537	392837	53942
हरियाणा	35837	42690	60417	7787
हिमाचल प्रदेश	15935	21096	22909	2135
जम्मू और कश्मीर	22110	34664	51027	4824
झारखंड	9539	31251	43874	5344
कर्नाटक	163356	232715	361494	39437
केरल	4000	71606	115046	11649
लद्दाख	2165	2569	4078	373
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	66018	113499	142948	16710
महाराष्ट्र	393020	472790	485345	56538
मणिपुर	4450	2964	9257	798
मेघालय	5302	9611	17784	2466
मिजोरम	891	1141	1873	179
नागालैंड	452	600	714	85
ओडिशा	65396	92848	166792	24478
पुदुचेरी	11937	13006	12148	894
पंजाब	15519	18680	22912	2164
राजस्थान	88029	103533	140543	15062
सिक्किम	3845	6636	8601	840
तमिलनाडु	364435	441796	480427	48931
तेलंगाना	92924	119014	121997	10424
त्रिपुरा	3051	6510	9641	1266
उत्तराखंड	15649	25623	23091	1790
उत्तर प्रदेश	191361	229921	164009	20478
पश्चिम बंगाल	22627	48664	76486	10264
कुल	21,89,909	30,52,521	37,15,713	4,29,664

* *आंकड़ों का स्रोत- दिनांक* 27-2-2025 *तक आईडीएसपी/आईएचआईपी*

अनुबंध-II

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए मानव रेबीज मामले (मृत्यु) (वर्ष 2022-25 तक)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2022 (जनवरी-दिसंबर)	वर्ष 2023 (जनवरी-दिसंबर)	वर्ष 2024 (जनवरी-दिसंबर)	वर्ष 2025 (जनवरी)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	3	0	1	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	0
असम	0	3	1	1
बिहार	1	3	2	0
चंडीगढ़	1	0	0	0
छत्तीसगढ	0	1	0	0
दिल्ली	0	0	0	0
दादरा नगर हवेली और दमन दीव	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	0
गुजरात	0	3	1	0
हरियाणा	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	1	1	3	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
झारखंड	0	1	1	0
कर्नाटक	3	4	5	0
केरल	0	1	3	0
लद्दाख	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	1	2	6	0
महाराष्ट्र	7	14	14	0
मणिपुर	1	3	2	0
मेघालय	0	1	4	0
मिजोरम	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0
ओडिशा	0	1	0	0
पुदुचेरी	0	0	0	0
पंजाब	1	0	0	0
राजस्थान	0	3	0	0
सिक्किम	0	0	0	0
तमिलनाडु	2	5	2	0
तेलंगाना	0	0	0	0
त्रिपुरा	0	1	1	0
उत्तराखंड	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	0	3	6	0
पश्चिम बंगाल	0	0	1	0
कुल	21	50	54	1

*आंकड़ों का स्रोत- *दिनांक 27-2-2025* तक आईडीएसपी/आईएचआईपी

अनुबंध-III

देश भर में रेबीज उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा किए गए कार्यकलाप इस प्रकार हैं::

1- एनएपीआरई का शुभारंभ:- 'राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम' के अंतर्गत, "वर्ष 2030 तक कुत्ते से होने वाले रेबीज के उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना" (NAPRE) की संकल्पना की गई और इसे दिनांक 28 सितंबर, 2021 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (MoFAHD) के सहयोग से संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया। एनएपीआरई दिशा-निर्देशों में दो घटक शामिल हैं: मानव स्वास्थ्य और पशु स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य घटक का कार्यान्वयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत 'राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र' (NCDC) द्वारा समर्पित बजटीय सहायता के साथ किया जाता है, जबकि पशु स्वास्थ्य घटक का कार्यान्वयन मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (MoFAHD) के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) द्वारा किया जाना है। पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 के अनुसार स्थानीय निकाय प्राधिकारियों के सहयोग से पशुपालन विभाग द्वारा कुत्तों का व्यापक टीकाकरण और कुत्तों की आबादी का प्रबंधन किया जा रहा है।

2- राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्यों को बजटीय सहायता: "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन" के तहत, राज्यों को स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्षमता निर्माण, रेबीज टीकों की खरीद, रेबीज और कुत्ते के काटने के निवारण के लिए आईईसी की छपाई, डेटा एंट्री सहायता, समीक्षा बैठकों, मॉनिटरिंग और निगरानी, मॉडल एंटी-रेबीज क्लीनिक और घाव धोने की सुविधाओं की स्थापना के लिए बजट के माध्यम से 'राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम' (NRCP) कार्यान्वित करने के लिए बजट प्रदान करके समर्थन दिया जा रहा है।

3- स्वास्थ्य सुविधाओं में एआरवी और एआरएस की उपलब्धता:- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की राष्ट्रीय निःशुल्क दवा पहल के तहत सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं में रेबीज-रोधी टीका (ARV) और रेबीज-रोधी सीरम (ARS)/रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन (RIG) जैसी जीवनरक्षक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये दवाएं राज्यों की आवश्यक दवा सूची में भी शामिल हैं।

4- SAPRE के लिए एनआरसीपी के तहत आयोजित कार्यशालाएं:- 'रेबीज उन्मूलन के लिए राज्य कार्य योजना' (SAPRE) तैयार करने हेतु पिछले दो वर्षों में दक्षिणी राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्यों, उत्तरी क्षेत्र के राज्यों और दिल्ली के लिए क्षेत्रीय स्तर की कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। राजस्थान, पुडुचेरी, मेघालय, मिजोरम, तमिलनाडु ने पहले ही अपनी रेबीज उन्मूलन के लिए राज्य कार्य योजना (SAPRE) शुरू कर दी है, जबकि कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, असम, मणिपुर, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली ने अभी तक अपनी रेबीज उन्मूलन के लिए राज्य कार्य योजना (SAPRE) शुरू नहीं की है। बाकी अन्य राज्य अपनी रेबीज उन्मूलन के लिए राज्य कार्य योजना (SAPRE) का प्रारूप तैयार कर रहे हैं।

5- सभी राज्यों में मॉडल एंटी-रेबीज क्लीनिक की स्थापना: कुत्ते के काटे के पीड़ितों की देखभाल के लिए जिलों में "मॉडल एंटी-रेबीज क्लीनिक" स्थापित करने के लिए राज्यों के स्वास्थ्य विभागों को सहायता प्रदान की जा रही है। पिछले तीन वर्षों में अब तक 279 मॉडल एंटी-रेबीज क्लीनिक शुरू हो चुके हैं।

6- रेबीज निदान के लिए नैदानिक प्रयोगशाला को सुदृढ़ करना:- देश भर में चयनित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रेबीज निदान के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की 14 नैदानिक प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया है।

7- राज्यों को परामर्शियां और संसूचना पत्र जारी करना: - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों को परामर्शी जारी की गई, जिसमें उनसे प्रासंगिक अधिनियमों के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग के रूप में वर्गीकृत करने का आग्रह किया गया। वर्तमान में, मानव रेबीज 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अधिसूचित है। इसके अलावा, निगरानी, एआरवी/एआरएस की उपलब्धता, कुत्ते के काटने और रेबीज मामलों के प्रबंधन पर हितधारकों को प्रशिक्षण, मॉडल एंटी रेबीज क्लीनिकों की स्थापना, सार्वजनिक अस्पतालों और केंद्रों में घाव धोने की सुविधा सुनिश्चित करने के माध्यम से राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी) के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को विभिन्न सूचनाएं भेजे गए हैं।

8- रेबीज मुक्त शहर पहल:- रेबीज के निवारण और नियंत्रण के लिए टियर 1 और टियर 2 शहरों को लक्षित करते हुए चरणबद्ध तरीके से रेबीज मुक्त शहर पहल प्रारंभ की गई है। यह पहल 6 राज्यों के 15 शहरों में कार्यान्वित की जा रही है और इसे देश भर के 114 शहरों में विस्तारित करने की योजना है।

9- राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर समितियों का गठन:- देश में कार्यक्रम को समग्र रूप से संचालित करने और नियामक तंत्र के लिए नीति, कानून और रूपरेखा तैयार करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्रालय के सचिव (HFW)- (MoHFW) की अध्यक्षता तथा पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) के सचिव की सह-अध्यक्षता में रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय संयुक्त संचालन समिति (NJSC-RE) का गठन किया गया है। इसी तरह, विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर कार्यक्रम प्रभाग को सलाह देने के लिए डीजीएचएस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति (NTAC) का गठन किया गया। एनजेएससी की तर्ज पर एनआरसीपी के तहत कार्यक्रम की प्रगति की नियमित समीक्षा के लिए राज्यों और जिलों में रेबीज उन्मूलन के लिए राज्य और जिला स्तरीय संयुक्त संचालन समितियां स्थापित की गई हैं।

10- राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत दिशा-निर्देश और संसाधन दस्तावेज तैयार करना:- चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए रेबीज प्रोफाईलैक्सिस और प्रशिक्षण मॉड्यूल पर विभिन्न दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रसारित किए गए हैं।

11- राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम:- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पशुओं के काटने के उचित प्रबंधन और रेबीज पोस्ट-एक्सपोज़र प्रोफाईलैक्सिस (PEP) पर स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए कई प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं। वर्ष 2019 से वर्ष 2025 (फरवरी 2025 तक) तक, लगभग 1,66,470 चिकित्सा अधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों को कुत्ते के काटने के प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया है।

12- कुत्ते के काटने और रेबीज पर सामुदायिक जागरूकता:- समर्थन, संचार और सामाजिक लामबंदी अभियानों के माध्यम से रेबीज की रोकथाम के बारे में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाई जा रही है। जनता और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को जागरूक करने के लिए, चिकित्सा अधिकारियों हेतु पशु के काटने/कुत्ते के काटने के मामलों के प्रबंधन पर कुत्ते के काटने के प्रोटोकॉल, आईईसी सामग्री और प्रशिक्षण वीडियो बनाए गए हैं और पूरे देश में परिचालित किए गए हैं। संदर्भ: **https://rabiesfreeindia.mohfw.gov.in/iec**

13- "विश्व रेबीज दिवस" आयोजन: - रेबीज के बारे में जागरूकता को और बढ़ावा देने के लिए, 28 सितंबर को राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर "विश्व रेबीज दिवस" मनाया जाता है। इस आयोजन के दौरान, कुत्तों को संभालने के लिए क्या करें और क्या न करें, कुत्ते के काटने के मामलों और रेबीज टीकाकरण के महत्व पर खासकर बच्चों के लिए स्कूलों में जागरूकता कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं।

14- राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के लिए समर्पित वेबसाइट का निर्माण:- पशुओं के काटने, संदिग्ध/संभावित/पुष्टि किए गए रेबीज मामलों/मृत्यु की निगरानी और रिपोर्टिंग और टीकाकरण कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए दिनांक 12 मार्च 2024 को एक समर्पित राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम वेबसाइट आरंभ की गई है, जिसका वेब-आधारित पोर्टल वर्तमान में विकासाधीन है। संदर्भ: **https://rabiesfreeindia.mohfw.gov.in/**

15- रेबीज हेल्पलाइन:- पहले चरण में पांच राज्यों (मध्य प्रदेश, दिल्ली, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और असम) के लिए हिंदी और अंग्रेजी में एक समर्पित रेबीज हेल्पलाइन (15400) कार्यान्वित की जा रही है, जिसके बाद अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार करने की योजना है।

16- राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना:- इस कार्यक्रम ने रेबीज के मामलों और पशुओं के काटने से संबंधित निगरानी को बढ़ाया है। राज्य मासिक आधार पर कुत्ते के काटने और रेबीज से होने वाली मौतों के मामलों को संकलित कर रहे हैं और डेटा को एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं।